Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding simplification of crop loan procedure.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और देश में किसानों की बड़े पैमाने पर आत्महत्यायें हो रही हैं। इन आत्महत्याओं के अलग-अलग कारण हैं, लेकिन आज एक नयी प्रॉब्लम आई है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से बैंकों से जो ऋण मिलता है उसमें भी एक-एक गांव और एक-एक बैंक को जोड़ा जाता है। कुछ बैंक बन्द हो गयी हैं, तो उन गांवों के किसानों को ऋण कौन देगा? यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। किसानों को ऋण देते समय एकाध फसल बर्बाद हो गयी हो, पचास हजार तक का ऋण रह गया हो तो बैंक उसको एनपीए में लेता है। इसकी वजह से उसको आगे लोन नहीं मिल पाता है। किसान की अगर दो एकड़ भी जमीन है तो उसकी कीमत आज बीस लाख है। उसका पचास हजार का लोन रुक गया, अगर उसको दूसरा पचास हजार रुपये का लोन दिया जाये तो वह एक साल और खेती कर सकता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ऐसे प्रावधान होते हैं तो किसान को भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया जाये। राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसा करने की आवश्यकता है। पहले यह कोऑपरेटिव में होता था। अभी महाराष्ट्र बैंक इण्डियन बैंक में मर्ज में हुआ है, लेकिन इण्डियन बैंक वहां लोन नहीं दे रहा है। यह प्रॉब्लम हमारे यहां हो रही है। मेरी वित्त मंत्री जी से यह विनती है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को आप बोलें कि जो बैंक आपने एडाप्ट किया है वह किसानों को ऋण दे।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री रवीन्द्र कुमार जेना को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।